109

संख्या– 521 /XVI(1)/11/5(23)/10

प्रेषक,

**जी0एस0पाण्डे,**
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक– 16 नवम्बर,2011

विषयः– **हार्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट के मिनी मिशन–IV के अन्तर्गत औद्यानिक आधारित प्रसंस्करण इकाईयों के प्राप्त प्रस्तावों के स्कूटनी के लिए मानक निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हार्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट के मिनी मिशन–IV के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तवों को राज्य स्तर पर गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी के माध्यम से अनुदान स्वीकृति हेतु भारत सरकार प्रेषित किया जाता है। अभी तक यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार के स्तर पर उद्यमियो/काश्तकारों से जो भी प्रस्ताव प्राप्त होते है, उन समस्त प्रस्तावों को अनुदान स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित कर दिया जाता है। अभी तक इन प्रस्तावों के स्कूटनी के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया था।

2– इस सन्दर्भ में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त हार्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट के मिनी मिशन–IV के अन्तर्गत औद्यानिक आधारित प्रसंस्करण इकाईयों के प्राप्त प्रस्तावों के स्कूटनी के लिए निम्नानुसार मानक निर्धारित करने का निर्णय लिया गया हैः–

| क0 सं0 | आंकलन के बिन्दु | अधिकतम अंक | श्रेणी | आंकलन हेतु निर्धारित अंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्थापित की जाने वाली इकाई की भौगोलिक स्थिति | 30 | **A श्रेणी के जनपद–**<br>पिथौरागढ़,चम्पावत उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग | 30 |
| | | | **B श्रेणी के जनपद–**<br>अल्मोड़ा,बागेश्वर,पौड़ी, टिहरी, नैनीताल (हल्द्वानी एवं रामनगर,ब्लॉक को छोडकर),देहरादून (डोईवाला, विकासनगर, सहसपुर, तथा रायपुर ब्लॉक को छोडकर) | 20 |
| | | | **C श्रेणी के जनपद–**<br>नैनीताल (शेष ब्लॉक) देहरादून (शेष ब्लॉक) उधमसिंहनगर,हरिद्वार | 10 |
| 2 | उद्यमी/काश्तकार का मूल निवास | 25 | 1–उत्तराखण्ड का मूल निवासी। | 25 |
| | | | 2–राज्य के बाहर का। | 10 |

**कमशः.....2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | औद्यानिक उपजों का उपार्जन (कच्चे माल) | 15 | 1–राज्य के A एवं B श्रेणी के जनपद | 15 |
| | | | 2–राज्य के C श्रेणी के जनपद | 10 |
| | | | 3–राज्य के बाहर | 05 |
| 4 | राज्य के उत्पादकों/कृषकों से अनुबन्ध के आधार पर कच्चे माल का उपार्जन | 20 | 1–10 से 25 उद्यानपतियों/कृषकों से अनुबन्ध। | 05 |
| | | | 2–26 से 50 उद्यानपतियों/कृषकों से अनुबन्ध। | 10 |
| | | | 3–51 से 100 उद्यानपतियों/कृषकों से अनुबन्ध। | 15 |
| | | | 4–100 से अधिक उद्यानपतियों/कृषकों से अनुबन्ध। | 20 |
| 5 | पर्वतीय क्षेत्र में संग्रह/क्रय केन्द्र खोलना | 10 | राज्य के किसी भी जनपद में स्थापित वृहद खाद्य प्रसंस्करण इकाईयॉ। | 10 |
| | **योगः–** | 100 | | |

**3–** उन प्रस्तावों को ही अनुदान स्वीकृति हेतु भारत सरकार प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा, जो कम से कम 50 अंक प्राप्त करेंगे।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मिनी मिशन–IV के अन्तर्गत जो भी प्रस्ताव प्राप्त हों, उसे प्रस्तर–2 में निर्धारित किये गये मानक के अनुसार स्क्रूटनी करने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन को सन्दर्भित करना सुनिश्चित करें।

**भवदीय,**

**(जी0एस0पाण्डे)**
अपर सचिव।

**संख्या–**521 **/XVI(1)/11/5(23)/10,तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपिः** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग,भारत सरकार,नई दिल्ली।
2– प्रबन्ध निदेशक, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, भारत सरकार,एन0सी0यू0आई0 आडिटोरियम बिल्डिंग, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली।
3– बागवानी आयुक्त,कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4– अपर निदेशक/समस्त संयुक्त निदेशक/समस्त उप निदेशक/समस्त जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ,उद्यान विभाग,उत्तराखण्ड।
5– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

N/C. ✓

**(जी0एस0पाण्डे)**
अपर सचिव।